



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2008/वैशाख 23, 1930

No. 644]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2008/VAISAKHA 23, 1930

कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

का.आ. 1127(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) के खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) की धारा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के सं. का.आ. 1803(अ) के तहत, कृषि मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ड) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :-

“(ड) संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) —सदस्य”  
कृषि मंत्रालय द्वारा नामित  
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली  
के प्रतिनिधि

[फा. सं. 33036/3/2005-मा (टी-2)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः**—मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में, दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के का.आ. 1803(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था, तदुपरान्त दिनांक 25 अगस्त, 2006 के का.आ. 1359(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2093(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 के का.आ. 1720(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 2007 के का.आ. 1947(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2008 के का.आ. 149(अ) और दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के का.आ. 1069(अ), के तहत संशोधित किया गया था।

1763 GI/2008

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2008

S.O. 1127(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture *vide* number S.O.1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:—

In the said notification, for serial number (e) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(e) Joint Secretary (Fisheries) —Member”  
Representative of the Ministry  
of Agriculture, New Delhi  
Nominated by the  
Ministry of Agriculture

[F. No. 33036/3/2005-Fy (T-2)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and *vide* number S.O.1803 (E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S. O. 1359(E), dated the 25th August, 2006; S.O. 2093 (E), dated the 13th December, 2006; S.O. 1720 (E), dated the 8th October, 2007; S.O. 1947(E), dated the 16th November, 2007; S.O.149(E), dated the 25th January, 2008 and S.O. 1069 (E), dated the 25th April, 2008.